भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 353

जिसका उत्तर मंगलवार, 3 फरवरी, 2026/14 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

राजसहायता और मूल्य निर्धारण में विकृति

353. श्री रविचंद्र वद्दीराजू:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2022-23 से तेलंगाना राज्य को आवंटित और जारी की गई उर्वरक राजसहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उर्वरक राजसहायता में कमी से राज्य में यूरिया और जटिल उर्वरकों की उपलब्धता और खुदरा मूल्य निर्धारण प्रभावित हुआ है;
(ग) राजसहायता प्राप्त यूरिया के अन्यत्र उपयोग और कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ) क्या मंत्रालय यूरिया के अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए पोटाश और अन्य संतुलित उर्वरकों को भी राजसहायता के दायरे में शामिल करने की योजना बना रहा है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): 'उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)' प्रणाली के तहत, प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है। तेलंगाना के किसानों सहित सभी किसानों को बिना किसी मनाही के आधार पर सब्सिडी प्राप्त दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रदान की गई उर्वरक सब्सिडी की कुल राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**सब्सिडी स्कीम**				**कुल**
	स्वदेशी पीएंडके	**स्वदेशी यूरिया**	**आयातित पीएंडके**	**आयातित यूरिया**	
2022-23	50089.67	127311.10	36032.56	41365.60	**254798.93**
2023-24	36270.00	102027.00	28929.57	28193.94	**195420.51**
2024-25	34010.00	103319.50	18800.00	21000.00	**177129.50**

(ख): चल रहे रबी मौसम 2025-26 के दौरान तेलंगाना राज्य में उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीकेएस और एमओपी की उपलब्धता पर्याप्त रही है। तेलंगाना राज्य में रबी मौसम 2025-26 के लिए इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के संबंध में विवरण **अनुलग्नक** पर दिए गए हैं।

यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा. बोरी की सब्सिडी प्राप्त एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन प्रभारों और यथालागू करों को छोडकर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार वसूली के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माताओं/आयातकों को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, तेलंगाना के किसानों सहित सभी किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति सब्सिडी प्राप्त दरों पर की जा रही है।

सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। एनबीएस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों का एमआरपी नियंत्रणमुक्त है और उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार यथोचित स्तर पर एमआरपी तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। एनबीएस सब्सिडी अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर मौसम के दौरान उनकी पीओएस बिक्री पर उत्पादक/आयातक को प्रदान की जाती है ताकि किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। प्रमुख पीएंडके उर्वरकों की प्रति 50 किलो की बोरी पर एनबीएस सब्सिडी और उनकी एमआरपी का विवरण इस प्रकार है:

50 किलोग्राम की बोरी हेतु सब्सिडी (रूपए में):

उर्वरक ग्रेड (एनपीकेएस पोषकतत्व)	**रबी 2023-24**	**खरीफ 2024**	**रबी 2024-25**	**खरीफ 2025**	**रबी 2025-26**
डीएपी (18-46-0-0)	1127.05	1083.80	1095.55	1389.95	1490.25
एमओपी (0-0-60-0)	71.35	71.35	71.35	71.40	71.40
एसएसपी (0-16-0-11)	177.00	240.20	256.05	363.15	370.40
20-20-0-13	690.70	769.75	749.65	883.15	928.45
10-26-26-0	536.70	639.40	646.40	812.85	869.50
12-32-16-0	634.30	760.70	770.00	974.75	1044.50

50 किलोग्राम की बोरी का अधिकतम खुदरा मूल्य (रूपए में):

उत्पाद का नाम	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (जनवरी, 2026 के अनुसार)**
डीएपी (18-46-0-0)	1350.00	1350.00	1350.00
एमओपी (0-0-60-0)	1699.39	1557.56	1700.23
एसएसपी- पाउडर रूप में	531.39	506.95	505.84
20-20-0-13	1263.78	1283.31	1405.87
10-26-26-0	1469.75	1530.22	1803.27
12-32-16-0	1493.26	1498.89	1702.12

(ग): विपथन और कालाबाजारी की समस्या से निपटने के लिए, उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारों को उक्त कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन कदाचारों के बारे में उर्वरक विभाग के स्तर पर मिली कोई भी शिकायत संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए भेजी जाती है।

(घ): वर्तमान में, पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड शामिल किए गए हैं। इनमें शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम), डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), मोनो अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी), म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी), सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के 03 ग्रेड, अमोनियम सल्फेट (एएस) शामिल हैं।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 03.02.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.353 के उत्तर के भाग (ख) से संबंधित है।

तेलंगाना राज्य में रबी मौसम 2025-26 (28.01.2026 तक) हेतु उर्वरक की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक						
						(आंकड़े एलएमटी में)
क्र.सं.	**उत्पाद**	**रबी 2025-26 हेतु मौसमी आवश्यकता**	**यथानुपातिक आवश्यकता (01.10.25 से 28.01.26 तक)**	**उपलब्धता (01.10.25 से 28.01.26 तक)**	**संचयी डीबीटी बिक्री (01.10.25 से 28.01.26 तक)**	**अंतिम स्टॉक (28.01.26 के अनुसार)**
1	यूरिया	10.40	7.05	8.02	6.72	1.30
2	डीएपी	1.45	1.13	2.17	1.69	0.48
3	एमओपी	0.65	0.44	0.80	0.27	0.53
4	एनपीकेएस	7.00	4.64	7.25	4.24	3.01
